प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 07-11-2022

विषय- जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी भूपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन लाल शर्मा को अन्यत्र कारागार पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी भूपेन्द्र शर्मा, निवासी-46, मुरारी नगर, खुर्जा, जनपद-बुलन्दशहर के पत्र दिनांक 10-10-2022 में किये गये अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित-385 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी भूपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन लाल शर्मा को जिला कारागार, बुलन्दशहर में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट/बुलन्दशहर।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट/बुलन्दशहर।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, चित्रकूट से जिला कारागार, बुलन्दशहर में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
7- अधीक्षक, जिला कारागार, बुलन्दशहर।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in